न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 3/2016

बउनवान

1. योगेन्द्र कुमार आयु 34 साल पुत्र श्री जमनालाल जाति मालव धाकड़
2. मनीष कुमार आयु 30 साल पुत्र श्री जमनालाल जाति मालव धाकड़ निवासीगण बलदेवपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.) (प्रार्थीगण)

बनाम

1. रामलाल पुत्र श्री अमरलाल जाति भील
2. श्रीमति गायत्री बाई पत्नि श्री अमरलाल जाति भील निवासीगण बलदेवपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.) (अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 14 (4) भू आवंटन अधिनियम, 1970

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

उपस्थिति :– श्री राजेन्द्र कुमार सुमन, अभिभाषक (प्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 23.05.2022

प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बलदेवपुरा में आराजी खसरा नंबर 364 व 365/728 हरिबल्लभ, ओंकार पुत्रगण धन्नालाल जाति मालव धाकड़ निवासीगण बलदेवपुरा तहसील मांगरोल के खातेदारी में दर्ज रही है। तथा खसरा नंबर 395 प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी में दर्ज है। इस भूमि की भू पट्टी के रूप में आराजी खसरा नंबर 365 की रकबा 0.25 है., 366 की 0.04 है., 396 कीी रकबा 0.05 है. 397 की 0.06 है. है, जो मूल खसरा नंबर 365 का ही भू भाग है। तथा खसरा नंबर 364 की रकबा 4.29 है. के बेहतर उपयोग एवं उपभोग में काम आती है जिसे प्रार्थीगण के दादा हरिबल्लभ एवं उनके बाद उनके पुत्र धन्नालाल तथा वर्तमान में प्रार्थीगण काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण के दादा हरिबल्लभ व उनके भाई औंकार के संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 183, 214/689 [illegible] 47, 248, 364, 365/728, 385, 386, 428 एवं 557 कुल किता 11 कुल रकबा [illegible] है [illegible] दोनो भाईयों के मध्य बाहमी विभाजन अनुसार आपसी सहमति से [illegible] 214 [illegible] 247, 248, 364, 35/728, 385, 386 एवं 357 कुल किता 9 रकबा 5.59 है. भूमि हरिबल्लभ जी को प्राप्त [illegible] था शेष भूमि औंकार जी के पास रही। बाहमी विभाजन का इन्त[illegible] नंबर 254 दिनांक [illegible]2015 से इन्द्राज हुआ। खसरा नंबर 364 व अन्य भूमियां हरिबल्लभ जी ने अपने पोत्र प्रार्थीगण को दान कर दी। वर्तमान में खसरा नंबर 364 सहित खसरा नंबर 365,366,397,396 पर प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं। खसरा नंबर 364 के साथ ही एक खेत के रूप में खसरा नंबर 365, 366,

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 11:47:53 IST
Reason: SelfAttested

395, 396, 397 काश्त हो रही है इस भूमि का एक ही चक है। उक्त आवंटनशुदा भूमि भू पट्‌टी के रूप में प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजीयात से लगी हुयी है, जिस पर प्रार्थीगण के दादा कई वर्षों तक काबिज काश्त रहे हैं तथा वर्तमान में प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं। इसलिये प्रार्थीगण उक्त कब्जेशुदा भूमि को अपने नाम आवंटन व नियमन करवा पाने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिसी हैं। उक्त आवंटनशुदा भूमि पर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने कभी काश्त नहीं की और ना ही वर्तमान में काश्त कर रहे हैं इसलिये कानूनन उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.06.2003 स्वतः ही निरस्तनीय है। अतः अप्रार्थीगण के पक्ष में पारित आवंटन आदेश दिनांक 11.06.2003 आराजी खसरा नंबर 365 रकबा 0.25 है., 366 रकबा 0.04 है., 396 रकबा 0.05 है., 397 रकबा 0.06 हैं. वाके ग्राम बलदेवपुरा निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के पक्ष में आवंटित व नियमित करने के आदेश फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से भू आवंटन रेकार्ड तलब किया गया।

अप्रार्थी क्रम 1 व 2 दिनांक 28.04.2016 को स्वंय उपस्थित हुये तथा इसके पश्चात निरन्तर अनुपस्थित रहे। भू आवंटन रेकार्ड प्राप्त होने तथा अप्रार्थीगण निरंतर बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर हमने प्रकरण में एकपक्षीय बहस अभिभाषक प्रार्थीगण की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चिय किया।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को आवंटित आराजी खसरा नंबर 365 रकबा 0.25 है., 366 रकबा 0.04 है., 396 रकबा 0.05 है., 397 रकबा 0.06 है. कुल किता 4 रकबा 0.40 है. ग्राम बलदेवपुरा प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी के साथ एक चक के रूप में मौजूद है जिस पर पूर्व में प्रार्थीगण के दादा हरिबल्लभ उनके बाद पिता एवं वर्तमान में प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा तथा ना ही वर्तमान में अप्रार्थीगण का कब्जा है। अप्रार्थीगण को आवंटित आराजी पर अपने दादा के समय से ही प्रार्थीगण निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अतः अप्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 11.06.2003 को किया गया आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जाकर उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के पक्ष में आवंटित किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने एकपक्षीय बहस विद्वान अभिभाषक पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पा[illegible]रा, तहसील–मांगरोल की आराजी खसरा नंबर 365 रकबा 0.25 है., 366 रकबा [illegible] 396 रकबा 0.05 है., 397 रकबा 0.06 है. कुल किता 4 रकबा 0.40 [illegible] 11.06.2003 को ग्राम हिंगोनिया कैम्प में आवंटन की गई [illegible] 11.2003 को पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा रूबरू गवाहान अप्रार्थीगण को उक्त आव[illegible] आदेश की पालना में दखल दिया गया है। तथा जमाबन्दी संवत 2069–72 के अनुसार उक्त भूमि अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है। यदि प्रार्थीगण का कब्जा आवंटित भूमि पर है तो वे अतिक्रमी की हैसियत से काबिज हैं जिससे उन्हे भूमि आवंटन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 11:47:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज.)
न्यायालय जिला कलेक्टर

परिणामस्वरूप, प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। भू आवंटन सलाहकार समिति, द्वारा अप्रार्थीगण को ग्राम बलदेवपुरा तहसील मांगरोल की आवंटित आराजी खसरा नम्बर 365 रकबा 0.25 है., 366 रकबा 0.04 है., 396 रकबा 0.05 है., 397 रकबा 0.06 है. कुंल किता 4 रकबा 0.40 है. का आवंटन दिनांक 11.06.2003 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 11:47:53 IST
Reason: SelfAttested